न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
ऑगनवाड़ी वाद संख्या–43 / 2013
ललिता कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/02/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका ललिता कुमारी, पति–मनोज कुमार राय, ग्राम–अहियारी मिर्जापुर, थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ ग्राम पंचायत राज अहियारी उत्तरी केन्द्र संख्या–235 जाले प्रखण्ड के ऑगनवाड़ी सेविका चयन में अनियमितता के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14570 / 2012 ललिता कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.01.2013 को पारित आदेश की प्रतिलिपि के साथ वाद आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), दरभंगा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग करते हुए प्रतिपक्षी के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले के पत्रांक–265 दिनांक–06.08.2013 एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–2154 दिनांक–17.11.14 से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी संख्या–03 प्रियंका कुमारी, पति–वागेश किशोर, ग्राम–मिर्जापुर अहियारी, थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा (कार्यरत सेविका) के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत राज अहियारी उत्तरी केन्द्र संख्या–235 प्रखण्ड–जाले में सेविका चयन हेतु आमंत्रित आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार की गयी, जिसमें आवेदिका का नाम क्रमांक–05 पर जबकि कार्यरत सेविका प्रियंका कुमारी का नाम क्रमांक–04 पर अंकित है। प्रियंका कुमारी ने अपने आवेदन में अपना ग्राम+पो0–अहियारी मिर्जापुर, थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा लिखा है,जो गलत है। वास्तव में प्रियंका कुमारी उत्तर प्रदेश में 54 मुरादनगर सामान्य उत्तर प्रदेश में भाग संख्या–128 के निर्वाचन नामावली के क्रमांक–345 पर इनके पति वागेश किशोर का नाम दर्ज है। साथ ही मेधा सूची में भी पोषक क्षेत्र से बाहर बताया गया है। उनका यह भी कहना है कि कुल–07 आवेदको में केवल आवेदिका ही पोषक क्षेत्र की थी। उक्त	

केन्द्र पिछड़ी जाति बाहुल्यता का है। ऑगनवाड़ी सेविका चयन हेतु दिनांक–08.05.2012 को केन्द्र संख्या–235 पर यादव खतवे टोल में आम सभा बुलाई गयी, जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य सुमारी देवी को ही करनी थी, परंतु उन्हे आम सभा के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी एवं बिना अध्यक्ष के आम सभा कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले के द्वारा गलत ढ़ंग से प्रियंका कुमारी का चयन ऑगनवाड़ी सेविका के रूप में कर लिया गया। आवेदिका द्वारा दिनांक–28.05.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले को आवेदन दिया गया जिसमें उन्होने उल्लेख किया कि प्रियंका कुमारी स्थायी रूप से अहियारी उत्तरी पंचायत की निवासी नही है, और न ही केन्द्र संख्या–235 के पोषक क्षेत्र की है, बल्कि उनके समस्त परिवार के सदस्यों यानि पति, ससुर, सास तथा सभी लोगो के नाम 54 मुरादनगर (सामान्य) उत्तर प्रदेश विधान सभा के भाग संख्या–128 के ग्राम–दुहाई–2 के निर्वाचक सूची में नाम एवं तस्वीर के साथ अंकित है। केवल लालच में आकर ऑगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति होने के लिए सच्चाई को छिपाया गया है। उनका यह भी कहना है कि विभिन्न स्तरो पर आवेदिका द्वारा इस संबंध में आवेदन दाखिल किये जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नही होते देख आवेदिका द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14570 /12 दायर किया गया जिसमें दिनांक–24.01.2013 को आदेश पारित किया गया, तदुपरांत उक्त न्याय निर्णय के आलोक में वर्त्तमान वाद आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उल्लेख किया गया कि ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–235 अहियारी उत्तरी की सेविका चयन में अनियमितता रहने के कारण वर्त्तमान सेविका को चयन मुक्त करते हुए आवेदिका का सेविका पद पर चयन किया जाय।

विपक्षी संख्या–03 प्रियंका कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका द्वारा दाखिल वाद वैधानिक रूप से एवं तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नही है। आवेदिका द्वारा तथ्य को छिपाते हुए वाद आवेदन दाखिल किया गया है। उनका यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत राज अहियारी उत्तरी के केन्द्र संख्या–235 जाले प्रखण्ड में सेविका पद पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्देशित विधि के अन्तर्गत की गयी है। सेविका चयन हेतु निर्मित मेधा सूची में प्रियंका कुमारी का क्रमांक–04 पर नाम अंकित है, जबकि आवेदिका का नाम छठे स्थान पर है, जो दिनांक–08.05.2012 को हुई आम सभा के प्रस्ताव संख्या–04 से भी स्पष्ट है। विपक्षी संख्या–03 प्रियंका कुमारी स्थायी रूप से ग्राम–अहियारी निर्जापुर, थाना–कमतौल, जिला–दरभंगा की मूल निवासी है। इनका नाम 87 जाले सामान्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची में दर्ज है। आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप

कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन में उनका नाम है, यह वैधानिक रूप से मानने योग्य नही है। विपक्षी संख्या–03 तथा उनके ससुर सास एवं पति का नाम उक्त मतदाता सूची में है। विपक्षी संख्या–03 पिछड़ी जाति से आती है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुरूप दिनांक–08.05.2012 को आम सभा में विपक्षी संख्या–03 प्रियंका कुमारी को सेविका के पद पर चयन किया गया। विपक्षी संख्या–03 का चयन विधि सम्मत तरीके से किये जाने के कारण आवेदिका द्वारा दायर वाद आवेदन खारिज योग्य है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले के द्वारा उनके पत्रांक 265 दिनांक 06.08.13 का समर्थन करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर बताया गया कि ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–235 पंचायत अहियारी उत्तरी पर सेविका/ सहायिका के चयन हेतु दिनांक–08.05.2012 को आम सभा का आयोजन किया गया। वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार वार्ड पंच जो आम सभा के उपाध्यक्ष थे उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। आम सभा में प्रियंका कुमारी, पति–वगीश किशोर द्वारा बताया गया कि आवेदिका ललिता कुमारी, पति–मनोज कुमार यादव उनकी अपनी चचेरी गोतनी है, और वे दोनो आवेदिका एक ही परिवार के सदस्य है। आम सभा में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया। मतदाता सूची 2011 में भी इनका नाम दर्ज है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रियंका कुमारी को पोषक क्षेत्र का मानते हुए मेधा अंक अधिक होने के कारण सेविका पद पर चयन किया गया। मेधा सूची में प्रियंका कुमारी के पोषक क्षेत्र से बाहर होने की बात दर्ज होने का प्रश्न है, इस संबंध में उनका कहना है कि मैपिंग पंजी में आवेदिका ललिता कुमारी के ससुर श्री रामचन्द्र यादव का नाम दर्ज है, परंतु प्रियंका कुमारी के ससुर श्याम सुन्दर का नाम छोड दिया गया है, जबकि वे दोनों अपने सगे भाई है। उनके द्वारा चयन को मार्गदर्शिका के अनुरूप होना बताया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा उनके प्रतिवेदन पत्रांक–2154 दिनांक 17.11.14 के द्वारा चयन में किसी प्रकार की अनियमितता होने के संबंध में उल्लेख नही किया गया है, बल्कि ललिता कुमारी का दावा सही नहीं मानते हुए इनके दावे को निरस्त करते हुए प्रियंका कुमारी के चयन को सम्पुष्ट करने अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा विपक्षी संख्या–03 प्रियंका कुमारी के पति एवं ससुर का नाम उत्तर प्रदेश में 54 मुरादनगर सामान्य निर्वाचक सूची में दर्ज होने के आधार पर वाद दायर किया गया है जबकि स्वयं चयनित

सेविका प्रियंका कुमारी का नाम उक्त निर्वाचक सूची में अंकित होने के संबंध में कोई कागजी प्रमाण दाखिल नहीं किया गया। चयनित सेविका का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार वोटर लिस्ट,2011 में पोषक क्षेत्र के अनुसार ही दर्ज होना बताया गया है तथा इसकी पुष्टि आम सभा में भी किया गया है। आवेदिका ललिता कुमारी के ससुर रामचन्द्र यादव तथा विपक्षी संख्या–03 पियंका कुमारी के ससुर श्याम सुन्दर के आपस में सगे भाई होने के बावजूद मैपिंग पंजी में अपीलार्थी के ससुर रामचन्द्र यादव का नाम होना तथा उनके ही भाई एवं चयनित सेविका के ससुर का नाम नही होना युक्ति संगत नही है। इस प्रकार अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रही है कि प्रियंका कुमारी का चयन वास्तव में गलत है तथा वे पोषक क्षेत्र के बाहर हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), दरभंगा के प्रतिवेदन में भी प्रियंका कुमारी का चयन नियमानुसार बताया गया है।

अतएव ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या–235 पंचायत अहियारी उत्तरी पर सेविका/ सहायिका के चयन हेतु दिनांक–08.05.2012 को आम सभा द्वारा चयनित सेविका विधि सम्मत रहने के कारण चयन को सम्पुष्ट करते हुए आवेदिका द्वारा दाखिल वाद खारिज किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14570/2012 ललिता कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.01.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में यह वाद निष्पादित किया जाता है। चयन सम्बन्धी सभी मूल अभिलेख बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाले को लौटा दिया जाय।

6/2/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।